संख्या-571/2023/3241/22-2-2023-17(801)/2023

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 14 सितम्बर, 2023

विषयः- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी हरकेश पुत्र श्री बलबीर, निवासी जनपद बदायूँ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-25794/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-04.08.2023, दिनांक 11.08.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी हरकेश पुत्र श्री बलबीर, आर्थल, थाना-धनारी, जनपद बदायूँ का निवासी है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 08.07.2001 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचा से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-514, 515/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-01, बदायूँ के आदेश दिनांक 20.02.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 23.08.2022 द्वारा निर्णीत करते हुए आजीवन कारागार की सजा को यथावत रखते हुए 25 आर्म्स एक्ट में दोषमुक्त किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 04.08.2023 तक 13 वर्ष 11 माह 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 04 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, बदायूँ द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का घोर विरोध किया गया है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी हरकेश (बन्दी संख्या-25329) पुत्र श्री बलबीर, निवासी जनपद बदायूँ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-571/2023/3241(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित अवमानना वाद सं0-963/2023 रामौतार उर्फ झुण्डा व अन्य बनाम संजय प्रसाद व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2023 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री(स्वतन्त्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in